

From,

Dinesh Gupta,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-95

To,

The Principal Secretary,
Govt. of U.P.,
Appointment Sec.-4,
Lucknow.

No. 11914 / Admin A-1 Sec.,

dated: 7-10-09

Sub: Grant of three advance increments to post Graduate Selected Candidates of Nayaik Sewa in compliance of order dated 21.03.2002 of Hon'ble Supreme Court.

Sir,

With reference to Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91, T.C., dated 13.05.2009 on the above subject, I am directed to say that several Judicial Officers of the rank of ^{Subordinate Judge} Additional District Judge, Civil Judge (Senior Div.), Civil Judge (Junior Div.) and retired Judicial Officers who are possessing LL.M degree have represented to the Court for grant of three advance increments w.e.f 21.03.2002 in accordance with aforesaid Government Order. The said G.O. Dated 13.05.2009 is not clear on the following points:-

JRM
order dated
17.9.09 of
Learned R.G.
is placed below

may say the
file before
learned R.G.
for signature
and issue of
the instant
draft letter.

Asst. Registrar
03-10-09
D. K. Pathak
03-10-09

Registrar (B)

of appno. 5.
The file be laid
before Learned
Registrar General
for signature &
issuing the
instant letter?

10/10/2009
J. R. (M)

Reg. Gen.
may like to approve
and sign the draft
on 05/10/09


Apk+D
D
GL

- Whether three advance increments are admissible to all the Judicial Officers (any cadre in service or retired) already possessing LL.M degree on 21.03.2002.
- Whether three advance increments are admissible to those Judicial Officers also who acquire LL.M degree after 21.03.2002.
- Whether three advance increments are admissible ^{to} only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service and who have mentioned this qualification in the application form submitted to the Public Service Commission/High Court, Allahabad.
- Whether three advance increments are admissible to only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service as on 21.03.2002 or thereafter.

reserving in

Whether the officers so entitled three advance increments under Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91 T.C., dated 13.05.2009 may also be entitled of Dearness Allowance on the three increments.

I am, therefore, to request you kindly to move the Government to issue necessary clarification on the above point at an early date so that necessary steps for implementation of Government Order may be taken.

Yours Faithfully

Registrar General

Santial
15-6-09
Encl-2

637

R. 1988
09/06/09

प्रेषिका,

संध्या श्रीवास्तव,
न्यायिक मजि०, प्रथम,
लखनऊ।

सेवा में

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय: प्रमुख सचिव, कुँवर फतेह बहादुर के पत्र दिं. 13.5.09 वियुक्ति
अनुभाग-4 लखनऊ के संदर्भ में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन
आयोग शेट्टी कमीशन द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में मा.
उच्चतम न्यायालय के आदेश दिं. 21.3.03 के अनुपालन में उ.प्र.
राज्य के स्वात्कोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित
अभ्यर्थियों को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में सम्मानपूर्वक निवेदन है कि प्रार्थिनी
ने सन् 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नात्कोत्तर की
उपाधि धारण किया है।

अतः उपरोक्त संस्तुति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थिनी की
नियुक्ति तिथि 14.6.06 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने
का आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक : 27-5-09
4/6/09

भवदीया,

संलग्नक

अंकपत्र तथा पमाणपत्र एल.एल.एम.ए.

संध्या श्रीवास्तव
न्यायिक मजि० प्रथम
जु०डि०, लखनऊ

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पत्रांक-982/XXPF दि. 04/6/09

अतिरिक्त प्रशासक
शिवानन्द मिश्र

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

Pankaj
R
01-9-09

8107
Reg. No.
File No. IV/3181
Serial No. 26
18/6/09
24/6/09

Request-95
16-7-09
31-8-09

1857
So. Admin. H/A

OP

JR(m)
11-6-09

37
JR(m)
11-6-09

120 JUN 2009

Request-95

University of Allahabad

No. 20



Original/Duplicate

Statement of Marks LL. M. Part II Examination 1992

Name Emil Garghya Srivastava Roll No. 01
Father's Name R. P. Srivastava

Subject	Max. Marks	Mini. Marks	Marks obtained			Remarks
			Theory I	Theory II	Total	
Law of Contracts	200	80			/	
Administrative Law	200	80	47	61	108	
Law of Torts	200	80	69	63	132	
Hindu Law/Muslim Law	200	80			/	
Law of Crimes	200	80	73	68	141	
Private/Public International Law.	200	80			/	
Viva-Voce	100	40			60	
Total marks LL.M. II	700	350			441	
Total marks of LL.M. I	700	350			372	
Grand Total	1400	700			813	

Forwarded
18/12

Result: Pass with Distinction

Dated 11/12/2000

SENATE HOUSE (Prepared by) Allahabad

(Checked by)

Deputy Registrar (Exam.)

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Request-95

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृ-दिनांक

प्रतिलिपि उपलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राज. एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।